

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक C/3226 / दो-15-06 / 2024

जबलपुर, दिनांक 01/05 / 2025

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन मंत्रालय, भोपाल का पत्र
क्रमांक एफ 4-1 / 2025 / नियम / चार, दिनांक 03.04.2025 की प्रतिलिपि :-

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश(समस्त).....मध्यप्रदेश,
2. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय(समस्त).....मध्यप्रदेश,
3. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, इंदौर / ग्वालियर
4. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक) / सर्तकता, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश,
जबलपुर
5. संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर
6. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर
7. जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), जबलपुर / इंदौर / ग्वालियर, मध्यप्रदेश
8. रजिस्ट्रार प्रशासन / न्यायिक I एवं II / डी.ई. / सतर्कता / ई. / आई.एल.
/ आई0एल0आर0 (परीक्षा), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
9. रजिस्ट्रार-कम-सेक्रेटरी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
10. डिप्टी रजिस्ट्रार (एम.).....समस्त उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
11. ज्वाइंट रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
12. रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
13. उप नियंत्रक (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
14. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
15. सेक्रेटरी टू द रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश,
जबलपुर
16. सदस्य, शिकायत निवारण सेल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
17. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम.).....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
18. प्रशासनिक अधिकारी / प्रभारी, स्थापना, सेवापुस्तिका, वेतननिर्धारण,
अवकाश, लेखा, समूह बीमा, पेंशन, गोपनीय, शिकायत, बजट, कार्य,
ग्रंथपाल, चेकर, प्रोटोकाल, कम्प्यूटर अनुभाग, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश,
जबलपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :- मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल का पत्र
क्रमांक एफ 4-1 / 2025 / नियम / चार, दिनांक 03.04.2025


(राजेश कुमार शर्मा)
रजिस्ट्रार (एम.)



मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन मंत्रालय - भोपाल

क्रमांक : एफ 4-1 /2025 / नियम / चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03 अप्रैल, 2025

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय - शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर देय अनुग्रह राशि (अनुदान) का पुनरीक्षण।
संदर्भ - वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-11/2013/नियम/ चार, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013

वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 24 दिसम्बर 2013 में शासकीय सेवा में रहते हुए किसी शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को वेतनमान में बैंड वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग के छः माह के बराबर, अधिकतम ₹ 50,000 / - (पचास हजार) की सीमा तक अनुग्रह राशि दिये जाने का प्रावधान है।

- 2/ राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवक की सेवा में रहते हुये मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को, मृतक शासकीय सेवक के वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में देय वेतन के छः गुना के बराबर, अधिकतम ₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया जाता है।
- 3/ अनुग्रह अनुदान भुगतान करने की अन्य सभी शर्तें यथावत प्रभावशील रहेगीं।
- 4/ यह आदेश दिनांक 01.04.2025 अथवा इसके उपरांत के प्रकरणों पर प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी.के. श्रीवास्तव)

उप सचिव,

म.प्र. शासन वित्त विभाग

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
3. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल
4. निज सचिव / निज सहायक, मान. उपमुख्यमंत्रीजी, वित्त मध्यप्रदेश शासन भोपाल
5. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
6. निज सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग
7. आवासीय आयुक्त, म.प्र. भवन नई दिल्ली
8. निज सचिव, सचिव, वित्त विभाग
9. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल
10. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
11. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर
12. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
13. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री / राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल
14. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
15. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
16. महाधिवक्ता / अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इन्दौर / ग्वालियर
17. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल
18. सचिव, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल / माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
19. सचिव, कर्मचारी आयोग, बी-1 गोमंतिका परिसर, भोपाल
20. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
21. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल
22. आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
23. संचालक, वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली मंत्रालय, भोपाल
24. समस्त अपर सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / परामर्शी / अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग
25. संचालक पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा मध्यप्रदेश भोपाल।
26. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
27. समस्त प्राचार्य, लेखा परीक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
28. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
29. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ
30. समस्त कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
31. गार्ड फाईल।

(अभिषेक चौहान)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन मंत्रालय - भोपाल

क्रमांक : एफ 4-1 /2025 / नियम / चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03 अप्रैल, 2025

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय - शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर देय अनुग्रह राशि (अनुदान) का पुनरीक्षण।
संदर्भ - वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-11/2013/नियम/ चार, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013

वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 24 दिसम्बर 2013 में शासकीय सेवा में रहते हुए किसी शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को वेतनमान में बैंड वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग के छः माह के बराबर, अधिकतम ₹ 50,000 / - (पचास हजार) की सीमा तक अनुग्रह राशि दिये जाने का प्रावधान है।

2/ राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवक की सेवा में रहते हुये मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को, मृतक शासकीय सेवक के वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में देय वेतन के छः गुना के बराबर, अधिकतम ₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

3/ अनुग्रह अनुदान भुगतान करने की अन्य सभी शर्तें यथावत प्रभावशील रहेगीं।

4/ यह आदेश दिनांक 01.04.2025 अथवा इसके उपरांत के प्रकरणों पर प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी.के. श्रीवास्तव)

उप सचिव,

म.प्र. शासन वित्त विभाग

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
3. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल
4. निज सचिव / निज सहायक, मान. उपमुख्यमंत्रीजी, वित्त मध्यप्रदेश शासन भोपाल
5. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
6. निज सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग
7. आवासीय आयुक्त, म.प्र. भवन नई दिल्ली
8. निज सचिव, सचिव, वित्त विभाग
9. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल
10. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
11. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर
12. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
13. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री / राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल
14. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
15. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
16. महाधिवक्ता / अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इन्दौर / ग्वालियर
17. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल
18. सचिव, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल / माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
19. सचिव, कर्मचारी आयोग, बी-1 गोमंतिका परिसर, भोपाल
20. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
21. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल
22. आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
23. संचालक, वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली मंत्रालय, भोपाल
24. समस्त अपर सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / परामर्शी / अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग
25. संचालक पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा मध्यप्रदेश भोपाल ।
26. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
27. समस्त प्राचार्य, लेखा परीक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
28. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
29. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ
30. समस्त कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
31. गार्ड फाईल ।


(अभिषेक चौहान)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग